



2026:AHC-LKO:14767-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील सं. - 95/2026

लाल बहादुर

....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से और 2 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : सज्जाद हुसैन, बदर इफ्तिखार, कुलसुम
फिरोज

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. सुना गया।

2. यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत, रिट-ए सं. 1016/2026 [लाल बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य] में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.02.2026 के विरुद्ध एक अपील है।

3. यद्यपि, प्रतिवाद और प्रत्युत्तर शपथपत्र के आदान-प्रदान के आदेश के विरुद्ध, नियमावली 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत एक विशेष अपील सामान्यतः स्वीकार्य नहीं होगी; फिर भी, 'आशुतोष श्रोतिया और अन्य बनाम कुलपति, डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय और अन्य' मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय में यह बात स्पष्ट है। विशेष अपील संख्या 1140/2008 में पारित निर्णय में यह भी कहा गया है कि जहाँ अंतरिम अनुतोष के लिए कोई आवेदन, जवाब दाखिल होने से पहले ही, अत्यधिक तात्कालिकता के आधार पर या इस आधार पर कि स्थिति अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाएगी, या जब तक कोई सुरक्षात्मक आदेश पारित नहीं किया जाता, या अपूरणीय अन्याय होगा इन आधारों पर ज़ोर देकर पेश किया जाता है; तो ऐसी दलील एकल न्यायाधीश के समक्ष ही दाखिल की जानी चाहिए। और यदि ऐसी दलील प्रस्तुत की जाती है, तो उसे अभिलेख पर लिया जाना चाहिए और उस पर संक्षेप में ही सही, लेकिन विचार किया जाना चाहिए, ताकि यह शिकायत न रहे कि अंतरिम अनुतोष के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्ण पीठ के निर्णय का एक अन्य भाग यह कहता है कि यदि कार्यवाही में कोई पक्ष, प्रति शपथपत्र दाखिल होने से पहले ही, सुरक्षात्मक प्रकृति के अंतरिम अनुतोष के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है इस आधार पर कि अपूरणीय अन्याय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या इस बीच उसके मूल अधिकारों पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो ऐसी दलील एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। और यदि ऐसी दलील दी जाती है, तो एकल न्यायाधीश द्वारा मामले की वर्तमान स्थिति के अनुरूप, उस पर संक्षेप में ही सही, लेकिन विचार किया जाना चाहिए। विशेष अपील की सुनवाई कर रही खण्ड पीठ को यह विचार करना है कि क्या संबंधित आदेश किसी महत्वपूर्ण मामले का निर्णय करता है, या क्या वह इस प्रकृति का है कि उससे पक्षों के अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, और संबंधित पक्ष के साथ गंभीर अन्याय होता है।

4. अब, मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.10.2022 के अपने दंड आदेश को, जिसके द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, तथा दिनांक 19.12.2017 की जांच रिपोर्ट को, रिट याचिका सं. 18043/2022 [लाल बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य] के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसे दिनांक 26.05.2025 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकार कर लिया गया:

"उपरोक्त के मद्देनजर, यह रिट याचिका सफल होती है और इसे स्वीकार किया जाता है। दिनांक 17.10.2022 का आदेश, साथ ही दिनांक 19.12.2017 की जाँच रिपोर्ट, एतद्वारा अभिखंडित की जाती है। यह मामला अनुशासनात्मक प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है, ताकि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक नया जाँच अधिकारी नियुक्त करें, और उस अधिकारी को यह निर्देश दें कि वह दिनांक 12.4.2018 के आरोप-पत्र में लगाए गए आरोपों की विभागीय जाँच करे और उसे

पूरा करे। लेकिन इस बार, याचिकाकर्ता को जाँच में भाग लेने का पूरा अवसर दिया जाएगा, और उसका मौखिक बयान दर्ज किया जाएगा, साथ ही, यदि आरोप के प्रमाण में कोई विभागीय गवाह हैं, तो उनके बयान भी दर्ज किए जाएँगे। अनुशासनात्मक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पूरी जाँच, जाँच अधिकारी की नियुक्ति के बाद अधिकतम 60 दिनों की अवधि के भीतर पूरी हो जाए, और यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके बाद, अनुशासनात्मक कार्यवाही अगले दो माह के भीतर अंतिम रूप से पूरी हो जाए। चूंकि विवादित आदेशों के साथ-साथ जाँच रिपोर्ट को भी अपास्त कर दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता की स्थिति वही बनी रहेगी जो जाँच के लंबित रहने के दौरान पहले थी। यदि याचिकाकर्ता निलंबित कर्मचारी की स्थिति में था, तो वह निलंबित कर्मचारी ही बना रहेगा और उसे निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा, और यदि वह निलंबित नहीं था और नियमित रूप से कार्य कर रहा था, तो वह उसी स्थिति में बना रहेगा और वेतन प्राप्त करेगा। यद्यपि, याचिकाकर्ता का वेतन उस अवधि के लिए जब वह पहले निलंबन के अधीन रहा था, या उस अवधि के लिए जब उसने विवादित आदेशों के कारण कार्य नहीं किया था, अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।"

5. हम उक्त निर्णय द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को नए सिरे से प्रारंभ करने पर लगाई गई रोक और निर्धारित समय सीमा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय हैं। इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि रिट न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता का मामला यह था कि नई जांच, दिनांक 26.05.2025 के पूर्व निर्णय द्वारा निर्धारित समय सीमा से आगे

जारी नहीं रह सकती थी। उपरोक्त संदर्भ में, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, दिनांक 23.04.2025 को सिविल अपील सं. 14724/2024 में दिए गए उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय 'उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, लखनऊ के माध्यम से बनाम राम प्रकाश सिंह' का हवाला देते हुए यह दलील देते हैं कि नई जांच, दिनांक 26.05.2025 को रिट न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्देशों से बाहर जारी नहीं रह सकती। वह माननीय उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय का भी हवाला देते हैं, जो दिनांक 19.08.2025 को सिविल अपील सं. 6599/2025 'के. प्रभाकर हेगड़े बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा' में दिया गया था। इसलिए, उनकी दलील है कि इस पहलू पर अंतरिम चरण में ही विचार किया जाना चाहिए था, क्योंकि बिना किसी अंतरिम आदेश के जांच को जारी रखने की अनुमति देने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें अवैध रूप से कोई अन्य दंडात्मक आदेश पारित किया जा सकता है; जिससे जटिलताएं पैदा होंगी, क्योंकि उस आदेश को फिर से चुनौती देना आदि आवश्यक हो जाएगा। इसके विपरीत, राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता माननीय उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय का हवाला देते हैं, जो 6 जुलाई, 2022 को सिविल अपील सं. 1942/2014 में दिया गया था और 'भारत संघ बनाम श्रवण कुमार' 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 2032 में प्रकाशित हुआ था।

6. हमारी राय है कि माननीय एकल न्यायाधीश को, आशुतोष श्रोतिया (उपर्युक्त) मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय में की गई टिप्पणियों के आलोक में, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के अंतरिम अनुतोष आवेदन पर विचार करना चाहिए था, ताकि उन्हें अंतरिम अनुतोष दिया जा सके चाहे वह किसी भी रूप में हो। इसलिए, इस अपील की स्वीकार्यता के प्रश्न पर आगे विचार किए बिना, हम इस अपील का निस्तारण इस निर्देश के साथ करते हैं कि रजिस्ट्री को रिट-ए सं. 1016/2026 में दाखिल अंतरिम अनुतोष के आवेदन को दिनांक 16.03.2026 को



माननीय एकल न्यायाधीश के विचारार्थ सूचीबद्ध करे। हम माननीय एकल न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया इस पर विचार करें। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई राय व्यक्त नहीं की है, बल्कि हमने रिट न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रखा है कि वह ऊपर संदर्भित कानून के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करे। यह आदेश विशुद्ध रूप से यहाँ विद्यमान विशिष्ट तथ्यात्मक परिस्थितियों को देखते हुए पारित किया गया है, और इसे ऐसे विशेष अपीलों को स्वीकार करने के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा, जो केवल पक्षकारों के कथनों के आदान-प्रदान का निर्देश देने वाले आदेशों के विरुद्ध दायर की गई हों जैसा कि इस मामले में पारित आदेश है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

24 फरवरी 2026

शानू/-